शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट दि0 01.05.2024

थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 140/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री निवास निवासी मोहल्ला गिहार बस्ती भौगांव थाना भौगांव जिला मैनपुरी से एक अदद ब्लेड (घटना में प्रयुक्त), 8100 रूपये के साथ गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार सागर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एंव श्रीमती सौम्या पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एव प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व मे थाना रामचन्द्र मिशन को मिली बडी सफलता।

दिनांक 28.04.2024 को थाना स्थानीय पर वादी श्री रामकुमार पुत्र भारत राम निवासी मौहल्ला लोधीपुर थाना रौजा जिला शाहजहाँपुर के द्वारा मु0अ0सं0- 140/2024 धारा 379 आई.पी.सी. बनाम अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ई- रिक्शा में बैठकर जाते समय उनकी जेब काट कर 85000 रूपये निकाल के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धइत अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना रामचन्द्र मिशन पर टीम का गठन किया गया था तथा उक्त टीम द्वारा अथक प्रयासो से आज दि0 01.06.2024 को रोकथाम जुर्म जरायम व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग में ग्रीनवैली चौराहे थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर पर मामूर थे जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि टप्पेबाजी करने वाले 04 व्यक्ति 02 मोटरसाइकिलों पर टप्पेबाजी के शिकार मे सिंगरईया मन्दिर के पास मौजूद हैं यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते हैं सूचना पर पुलिस टीम ने मन्दिर से थोडा पहले पहुँचने पर देखा कि एक व्यक्ति खडा हुआ रैकी कर रहा था तथा तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहीं पास मे खडे हैं जो हम पुलिस वालो को पास आता देख अपनी अपनी मोटर साइकिल सवार होकर मोटरसाइकिलो से भाग गये तथा रैकी कर रहा व्यक्ति भागने का प्रयास किया कि हम पुलिस वालो ने एक बारगी दविश देकर घेर घोटकर पकड लिया पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री निवास निवासी मोहल्ला गिहार बस्ती भौगांव थाना भौगांव जिला मैनपुरी जाति गिहार(कंजड़) तथा जामा तलाशी से पहने लोवर की दाहिनी जेब से 8100 रुपये व एक अदद जेब काटने वाली ब्लेड बरामद हुई तथा अभियुक्त रवि उपरोक्त को समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि कुमार पुत्र स्व. श्री निवास निवासी मोहल्ला गिहार बस्ती भौगांव थाना भौगांव जिला मैनपुरी जाति गिहार(कंजड़)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 140/2024 धारा 379/411 भादवि थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त की तलाशी से 8100 रूपये व एक अदद ब्लेड(घटना में प्रयुक्त)।

अपराध कराने का तरीका-

अभियुक्त रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री निवास निवासी मोहल्ला गिहार बस्ती भौगांव थाना भौगांव जिला मैनपुरी ने पूछताछ कर पर बताया कि हम चार लोगो हैं। हम लोग मोटरसाइकिलो घूम फिर कर अपना शिकार तलाश करते हैं कि किस व्यक्ति के पास रूपये हैं उसको चिन्हित करके उसके पीछे लग जाते हैं मौका देखकर हमारे दो साथी पैदल हो जाते हैं तथा दो अन्य साथी मोटरसाइकिल पर रहते हैं हम लोग ई रिक्शा आदि में उस चिन्हित व्यक्ति के साथ बैठकर अपना बैग अपने पैरो पर आगे रखकर जो चिन्हित व्यक्ति के पैरो तक जाता है उसके बाद ब्लेड की मदद से उसकी जैब काटकर रूपये निकाल लेते हैं जेब काटने के बाद हम रास्ते में ही मौका पाकर उतर जाते हैं जो हमारे साथी मोटरसाइकिल पर आस पास या पीछे पीछे रहते हैं उनकी मोटरसाइकिलो पर बैठकर घटना को करके फरार हो जाते हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

01. उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
02. उ0नि0 श्री राहुल आर्य थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
03. प्रशिक्षु उ0नि0 सचिन राणा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
04. का0 2815 जोनी कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर